

प्रपत्र एम.एम. -1 (क)

(20वां संशोधन)

(चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

खनन पट्टे के नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र (नियम 6क देखिये)

स्थान दिनांक को प्राप्त हुआ।

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक

के माध्यम से.....

सेवा में,

.....

.....

महोदय,

मैं/हम उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के अधीन अपने खनन पट्टे से नवीकरण के लिये निवेदन करता हूँ/करते हैं। उक्त नियमावली के नियम-6-क के उपनियम (1) के अधीन देय 1000.00 रुपये (एक हजार रुपये) का प्रार्थना पत्र शुल्क जमा कर दिया गया है।

आपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :-

1. प्रार्थी का नाम और पूरा पता
2. क्या प्रार्थी कोई गैर-सरकारी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्स या निकाय है।
3. यदि प्रार्थी :-
 - (क) व्यक्ति विशेष है, तो उसकी राष्ट्रिकता
 - (ख) निजी कम्पनी है, तो कम्पनी के सभी सदस्यों के रजिस्ट्रीकरण के स्थान के साथ उसकी राष्ट्रिकता
 - (ग) सार्वजनिक कम्पनी है, तो निदेशकों की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंशुपूंजी का प्रतिशत तथा उसके निगमन के स्थान
 - (घ) फर्म या निकाय है तो फर्म के सभी भागीदारों या संगम के सदस्यों की राष्ट्रिकता
 - (ङ) यदि प्रार्थना पत्र बालू और मौरग के लिये है तो प्रत्येक प्रार्थी की जाति और निवास स्थान के पते का प्रमाण पत्र दिया जायेगा
4. प्रार्थी/प्रार्थियों के व्यवसाय या कारोबार की प्रकृति
5. खनन देय बकाया न होने का जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृति अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये। (21 वां संशोधन)
6. (क) खनन पट्टे का विवरण, जिसका नवीकरण वांछित है
(ख) पूर्व में स्वीकृत नवीकरण के ब्योरे, यदि कोई हों,
7. अवधि, जिसके लिये खनन पट्टे का नवीकरण अपेक्षित है
8. क्या नवीकरण का आवेदन धृत पट्टे के सम्पूर्ण या उसके मांग के लिये किया गया है

- (क) क्षेत्र, जिसके नवीकरण के लिये आवेदन किया गया
- (ख) उस क्षेत्र का विवरण, जिसके नवीकरण के लिये आवेदन किया गया है (विवरण भूखड के सीमांकन के लिये पर्याप्त होना चाहिये)
- (ग) धृत पट्टा क्षेत्र के मानचित्र का विवरण, जिसमें नवीकरण के लिये आपेक्षित क्षेत्र को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया हो (संलग्न)
- (घ) विद्यमान या सृजित मलवे के विवरण यदि कोई हो

9. क्या प्रार्थी का उस भूमि के धरातल, जिसके खनन पट्टे के नवीकरण के लिये उसने अपेक्षा की है, अधिकार है ?
10. यदि उसको सतही अधिकार प्राप्त नहीं हैं तो क्या उसने खनन संक्रिया के लिये क्षेत्र के स्वामी और अधिभोगी की सहमति प्राप्त कर ली है ? यदि सहमति प्राप्त कर ली है तो स्वामी और अधिभोगी की लिखित सहमति प्रस्तुत की जायेगी।
11. शपथ पत्र द्वारा समर्थित प्रत्येक राज्य में खनिजवार क्षेत्र का विवरण जिस पर आवेदक या उसके साथ संयुक्त स्वत्व रखने वाला व्यक्ति :-

- (क) खनन पट्टे के अधीन पहले से धारित करता है;
- (ख) पहले ही आवेदन किया हो, किन्तु यह स्वीकार न किया गया हो, या
- (ग) साथ-साथ आवेदन कर रहा हो :

12. खनन योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

- (क) क्षेत्र का मानचित्र जिसमें खनिज निकाय तथा खनिज स्थल या स्थलों का प्रकार और उनका विस्तार दर्शाया गया हो, जिसमें प्रथम वर्ष में उत्खनन किया जाना हो, और उसका विस्तार; प्रार्थी द्वारा एकत्र किये गये पूर्वक्षण आंकड़ों पर आधारित उत्खनन स्थल का विस्तृत ब्यौरा पट्टे की अवधि के लिये अनन्तिम खनन योजना
- (ख) क्षेत्र के भू-विज्ञान एवं अश्म-विज्ञान (Lithology) का ब्यौरा, शारीरिक श्रम और मशीन द्वारा खनन का विस्तार
- (ग) वार्षिक कार्यक्रम और वर्षानुवर्ष उत्खनन योजना और
- (घ) क्षेत्र का नक्शा, जिसमें प्राकृतिक जल स्रोत, आरक्षित वन तथा अन्य वनों की सीमा और वृक्षों की संघनता, खनन क्रिया-कलाप का वन, भूमि और पर्यावरण, जिसमें वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण भी सम्मिलित हैं, पर प्रभाव का आंकलन और वन रोपण भूमि-पुनरूधार, प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के प्रयोग की योजना के ब्योरे दर्शाये गये हों।

टिप्पणी – इसकी आवश्यकता नदी तल के बालू, मौरग, बजरी इत्यादि के लिये नहीं होगी। (21 वां संशोधन)

13. साधन, जिससे खनिज निकाला जाना है, अर्थात् शारीरिक श्रम द्वारा या यान्त्रिक या विद्युत युक्ति द्वारा

14. रीति जिसके अनुसार संग्रह किया गया खनिज उपयोग में लाया जायेगा :-

(क) भारत में विनियोग के लिये

(ख) विदेशों को निर्यात करने के लिये;

(ग) पूर्ववती दशा में उन उद्योगों को, जिसे संबंध में यह अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट किया जायेगा पश्चातवर्ती दशा में, उन देशों का उल्लेख किया जाना चाहिये, जिनकी खनिज का निर्यात किया जायेगा का उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्या खनिज प्रक्रमण्ड के पश्चात निर्माण किया जायेगा या कच्चे रूप में

15. विगत तीन वर्षों में उत्पादन का ब्योरा और आगामी तीन वर्षों के दौरान विकास के लिये अभिन्यास योजना सहित उत्पादन के लिये चरणबद्ध कार्यक्रम, यदि कोई हों, का उल्लेख किया जाना चाहिये।

16. विद्यमान उपलब्ध रेलवे परिवहन सुविधा और अतिरिक्त परिवहन सुविधा, यदि कोई अपेक्षित हो।

17. कोई अन्य विवरण जो प्रार्थी देना चाहते हों

मैं/ हम एतदक्षरा घोषित करता हूँ। करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और मैं/ हम, पट्टा दिये जाने या उसका नवीकरण किये जाने के पूर्व आपके द्वारा अपेक्षित कोई अन्य ब्योरा, जिसमें नक्शे भी हैं, देने का तत्पर हूँ/हैं।

स्थान

भवदीय

दिनांक

प्रार्थी का हस्ताक्षर और पदनाम

अवधेय :- यदि प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है तो अभिकरण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिये।